प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, लखनऊ।

सेवा में,

1— प्रमुख सचिव,
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2— महानिरीक्षक, रजिस्ट्रेशन,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ/इलाहाबाद।

3— समस्त जिलाधिकारी/समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

संख्याः जी—565/जी—5—17ए/2017 टी0सी0 दिनांकः 09 फरवरी, 2018

विषय— विलेख पंजीकरण के उपरान्त ऑनलाईन प्रकिया के माध्यम से स्वयमेव खतौनी में नामान्तरण प्रकिया किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक परिषद पत्र संख्या—223/1—18—2017/क0सेल/25/2016 टी0सी0, दिनांक 31 जुलाई, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें प्रदेश के समस्त भूमि गाटों की 16 डिजिट की यूनिक कोड में अंतिम दो अंक (भूमि की श्रेणी) के आधार पर केवल विक्रय योग्य भूमि, जिनके गाटा कोड के अन्तिम दो अंक 12 अथवा 62 हैं, को ही विकीत किये जाने के संबंध में अवगत कराते हुए, तदनुसार विलेख पंजीकरण एवं नामान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया है।

2— उक्त के कम में अवगत कराना है कि राजस्व संहिता, 2006 के प्राविधानों के अनुसार संहिता की धारा 76 में निर्दिष्ट असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर (धारा—77 में उल्लिखित कतिपय भूमियों, जिन पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते, के अतिरिक्त) पट्टा प्राप्ति के 05 वर्ष के पश्चात संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायेगा। इस प्रकार असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर में परिवर्तित हो जाने की दशा में उसके द्वारा धृत भूमि के कोड के अन्तिम दो अंक भी परिवर्तित होकर 12 हो जाने चाहिए। परन्तु वर्तमान में खतौनी का पुनरीक्षण 6 वर्ष के अन्तराल पर ही किये जाने के कारण नयी खतौनी बनाये जाने तक उपरोक्तानुसार परिवर्तन सम्बन्धी आदेश खतौनी के अभ्युक्ति स्तम्भ में ही उपलब्ध रहते हैं तथा भूमि की श्रेणी में व तदनुसार उसके कोड में परिवर्तन नयी खतौनी बनने पर ही अद्यावधिक हो पाते हैं।

3— परिषद स्तर पर संज्ञानित हुआ है कि नयी खतौनी तैयार होने तक, असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाने के बाद भी, प्रचलित खतौनी के भूमि के श्रेणी कोड में परिवर्तन नहीं होने के कारण ऐसी संक्रमणीय भूमि का क्रय—विक्रय नहीं हो पा रहा है, जिससे खातेदारों के विधिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

4— उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि प्रचलित खतौनी के अभ्युक्ति के स्तम्भ में सक्षम प्राधिकारी के इस आशय के आदेश उपलब्ध हैं कि असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तो ऐसे संक्रमणीय अधिकार प्राप्त भूमिधरों की भूमि के क्रय–विक्रय पर, केवल भूमि का श्रेणी कोड परिवर्तित न होने के आधार पर, कोई रोक न लगायी जाय।

5— कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीया,

12.4.19

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त–

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।